

252

श्वामी शिवोम तीर्थ
कुण्ड लिनी सिद्ध
महायोग केन्द्र
रायपुर
तहसील रायपुर
जिला रायपुर


- म.प्र. सार्वजनिक
न्याय अधिनियम
1951 एवं
नियम 1962
तथा इन्डिड के
अनुसार
- 1- परम पूज्य स्वामी
गोपाल तीर्थजी
नारायण कुटी
सन्ध्या आश्रम
देवास (अध्यक्ष)
 - 2- श्री उमर पी. शर्मा
शीतलापारा
रायपुर
(कोषाध्यक्ष)
 - 3- श्री राम सहाय
मिश्रा - लाकिनगर
रायपुर
(सचिव)
 - 4- श्री एन.के. गुप्ता
शान्तिनगर लुपेला
भिलाई (सदस्य)
 - 5- श्री एस.एन. द्विवेदी
किंग रोड कैम्प
भिलाई (अध्यक्ष)
 - 6- श्री अवधेश कुमार
शर्मा महादेवधर
रायपुर
(सदस्य)
 - 7- श्री दीताराम
विश्वकर्मा
स्मृतिनगर भिलाई
(सदस्य)
 - 8- श्री बल्लभ दास
खजौरा
दिनोबा नगर
बिलासपुर
(अध्यक्ष)
 - 9- श्री हीरबालजी
गुप्ता - गुप्तापारा कुवर्चा
(अध्यक्ष)
 - 10- श्री अतीश गुप्ता
पिपरिया जिन्ना कुवर्चा
(अध्यक्ष)
 - 11- श्री निरवल पेंडू
बी-6/4 भिलाई
(सदस्य)
 - 12- श्री गंगाराम
रिसाईपारा
दामतरी
(अध्यक्ष)

सार्वजनिक
कार्य एवं
उद्देश्यों की
इति
भारतीय संरक्षित
का प्रचार
प्रसार आदि

इन्डिड के
अनुसार

अचल सम्पत्ति
रायपुर/फ. डे.ने. 104
तहसील रायपुर स्थित
भूमि (वसति कुमोंड
581/4 रकबा 0-020 हे.
एवं प्लॉट 608/22 रकबा 0-014 हे.
इन्डिड के नाम पर है।
अचल सम्पत्ति
जिला सहायकी जे.डी.यू.बैंक
मथुरा शाखा सदर बाजार
रायपुर में बंधन अमानत
खाता कुमोंड 11938 में
रुपये 264 = 00 जमा
राशि है।

पंजीयत सार्वजनिक
न्याय रायपुर के
प्रकरण कुमोंड
17B-113(1)
वर्ष 2001-2002
में पारित आदेश
दिनांक 24/8/2002
के अनुसार
सार्वजनिक इन्डिड
के रूप में पंजीयन
किया गया।


सार्वजनिक न्याय,
रायपुर (म.प्र.)

व्याख्या कठोर रूप में पंजीयत
सार्वजनिक न्याय के प्रकरण कुमोंड
09 का 113 का वर्ष 2007-08 आदेश
दिनांक 20-5-2009 के अनुसार
श्री अवधेश कुमार शर्मा के इस्तीफा
देने के कारण रिक्त स्थान पर
काभरसाब किरसाज को तथा हीरबाल
रुपता कुवर्चा के इच्छाबद्धता के कारण
कीमार रहने से अनुपस्थित रहने के
कारण श्री भागवत प्रसाद काष्ठकारी,
श्री मती नारायणी देवी दीवान, कोषाध्यक्ष
श्री हेमलत कुमार मिश्रा, श्री भूषण सोनिया
निवासी वसतरी को तथा न्याय विभाग
किराणापुराने इन्डिड का नाम इन्डिड पंजीयत
केडिका उमें विलोपित करने, इच्छाबद्धता
वकील इन्डिड का नाम पुर्वोक्ती किया
गया।
20/05/09
सार्वजनिक न्याय,
रायपुर (म.प्र.)